ग्रामीण अनुसूचित जातियों के सामाजिक सशक्तिकरण में पंचायत राज व्यवस्था की भूमिका

डॉ० ब्रह्मप्रकाश
एसोसिएट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
एन०आर०ई०सी० कॉलेज, खुर्जा (बुलन्दशहर)
ईमेलः brahamprakash24feb@gmail.com

सारांश

भारत वर्ष की बुनियाद चूँकि ग्रामीण संरचना पर आधारित है। अतः जब तक ग्रामीण अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तब तक उनके सशक्तिकरण का उददेश्य व ध्येय अधूरा ही रहेगा भले ही निर्बल वर्गों की स्थिति को बेहतर बनाने की ओर सरकार का ध्यान केन्द्रित है। ग्रामीण विकास के लिये गॉव स्तर पर पंचायतों को उत्तरदायी बनाया गया है। कृषि विकास, पशुधन विकास, सहकारिता विकास, आवास विकास, स्वास्थ्य कल्याण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ग्रामीण उद्योग एवं रोजगार, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, शिशु एवं महिला कल्याण तथा रोजगार आदि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामों का विकास किया जा रहा है। लोगों में एकता, आत्मविश्वास, राष्ट्रीयता, सामाजिक व राजनैतिक चेतना जागृत करने तथा विकास के प्रति जागरूकता पैदा करने में पंचायती राज व्यवस्था का इतना योगदान है कि लोग अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों को समझने लगे हैं। ग्रामीण नेतृत्व विकास को दिशा एवं गति मिली है। प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला के रूप में स्थापित पंचायत राज वर्तमान में समन्वित ग्रामीण विकास, राजनैतिक जागृति एवं प्रशासनिक स्वरूप आर्थिक ढ़ांचा एवं विकास की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण स्वरूप प्रदान कर रहा है।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 09.09.2022
Approved: 17.09.2022

डॉ० ब्रह्मप्रकाश

ग्रामीण अनुसूचित जातियों के सामाजिक सशक्तिकरण में पंचायत राज व्यवस्था की भूमिका

RJPP Apr.22-Sept.22, Vol. XX, No. II,

pp.328-331
Article No. 43

Online available at *:*
https://anubooks.com/rjpp-2022-vol-xx-no-2

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम में चार अनुसूची हैं जिसमें से चौथी अनुसूची में सामाजिक न्याय तथा आर्थिक विकास द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये योजनाओं की तैयारी एवं क्रियान्वयन विषयों का उल्लेख है। पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थान्तर्गत क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप उपेक्षित व निर्बल वर्गों हेतु जनहित की विभिन्न विकास योजनाओं द्वारा आरक्षण प्रावधान के अनुरूप शक्ति सम्पन्न बनाने की बात कही गयी है। अतः इनके लिये सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षिक क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न विकास योजनायें तथा कार्यक्रम पंचायत राज व्यवस्था, शासकीय अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के संयुक्त सहयोग व समन्वय से क्रियान्वित की जा रही है। जिसमें अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, मलिन बस्ती आवास योजना, स्वच्छ पेयजल योजना, जननी सुरक्षा योजना, कन्या विद्याधन योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, काशीराम आवास योजना, राष्ट्रीय पोशाहार मिशन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, मनरेगा योजना, दुर्घटना बीमा योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ (बी0पी0एल0) परिवार योजना के संचालन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़ित परिवारों को सामाजिक सशक्ता प्रदान करने के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित दरों एवं नियम–निर्देशानुसार घटना घटित होने के तत्काल पश्चात एक मुस्त आर्थिक सहायता भी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। कमाने वाले व्यक्ति की हत्या अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में 200000/– रू0 न कमाने वाले व्यक्ति की हत्या हो जाने की स्थिति में 100000/– रू0, महिलाओं के बलात्कार के मामले में 50000/– रू0 तथा अन्य मामलों/प्रकरणों में घटित घटना की प्रवृति के अनुसार सहायक की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। हत्या के प्रकरणों में स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत और बलात्कार के प्रकरण में स्वीकृत धनराशि का 50 प्रतिशत एवं अन्य सम्बन्धित प्रकरणों में स्वीकृत धनराशि का 25 प्रतिशत का भुगतान तत्काल दिया जाता है।

निःसन्देह तथा यह निर्विवाद सत्य है कि उ0प्र0 शासन अनुसूचितों के उत्थान व सुरक्षार्थ अत्यन्त सजग है। वृद्धजनों तथा किसानों के लिये भी पेंशन योजना का प्रावधान समाज कल्याण विभाग द्वारा किया है। साठ वर्ष एवं इससे अधिक आयु के निर्धन/निराश्रित वृद्ध–वृद्धाओं को 1000/– रूपये प्रतिमाह की पेंशन सहायतार्थ प्रदान की जाती है।

(क) इनकी आय 1000/– रूपये मासिक से अधिक न हो।

(ख) उनके पुत्र व पौत्र वालिग न हो अथवा देखभाल करने में सक्षम न हों।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत की खुली बैठक में स्वीकृति के उपरान्त प्रस्ताव सहित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पेंशन की धनराशि में छिमाई किस्तों तके पेंशनर्स के बैंक खाते में पेंशन धनराशि स्थानान्तरित कर भुगतान करने का प्राविधान है।

उ0प्र0 शासन तथा समाज कल्याण विभाग पंचायत राज व्यवस्थान्तर्गत दोनों के संयुक्त प्रयासों से अनुसूचित जातियों के सामाजिक साशक्तिकरण हेतु निम्न योजनायें भी क्रियान्वित हैं–

(1) निराश्रित विधवा पेंशन योजनान्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा निराश्रित विधवाओं जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 के मध्य हो, निर्धनता की सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन कर

रही हो जिसका कोई बालिग पुत्र/पौत्र न हो ऐसी महिलाओं को प्रति माह रूपये 300/– पेंशन प्रदान की जाती है।

(2) विकलांग पेंशन योजना– यह योजना उन सभी विकलांगों के लिये संचालित है जो कम से कम 40 प्रतिशत विलांग हों चाहे आयु कुछ भी हो 300/– रू0 प्रतिमाह विकलांग पेंशन हेतु पात्र हैं।

(3) निराश्रित गर्भवती महिला योजना– यह पेंशन योजना केवल उन महिलाओं के लिये संचालित है जो प्रथम/द्वितीय वार गर्भवती हों और किसी वजह से अचानक पति की मृत्यु हो गयी हो तथा निराश्रित हों। खान–पान के लिये 500/– रू0 प्रतिमाह सहायता की धनराशि शासन द्वारा प्रदान की जाती है।

(4) जननी सुरक्षा योजना– उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ने उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग द्वारा महिलाओं की सहायता एवं सुरक्षा के लिये वर्ष 2006 में जननी सुरक्षा योजना संचालित की है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की सभी गर्भवती तथा नवजात शिशु वाली महिलाओं की सहायता के लिये 1400 रूपये प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला अस्पताल द्वारा लाभार्थिनी के नाम चैक प्रदान किया जाता है। इस योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार हैं–

(1) गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर में कमी लाना।

(2) नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना।

(3) सम्पूर्ण मृत्यु दर में कमी लाना।

(4) नवजात शिशुओं का टीकाकरण सुनिश्चित करना।

ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक गॉव पर एक आशा बहिन जो परामर्शदात्री कही जा सकती है। गॉव की गर्भवती महिलाओं से प्रसव कराने तक स्वास्थ्य की देखभाल व परिचर्या करती है। जिसमें ए0एन0एम0 विशेष तथा विषम परिस्थिति में उनकी पूरक सहायतायें प्रदान करती है। गर्भवती महिलाओं को चिकित्सालय तक पहुँचाना जांच उपरान्त सुरक्षित प्रसव कराना, प्रसवोत्तर उपरान्त परिचर्या प्रदान करना इनके मुख्य कार्य हैं। गर्भवती महिला को अनिवार्यतः टिटनेस के दौ टीके लगवाना, रक्त जांच कराते हुये आवश्यकतानुसार समय–समय पर कैल्शिमय की गोलियां गर्भवती महिलाओं को सुलभ कराना और जन्म के उपरान्त शिशु को एक वर्श तक पोलियो ड्राप्स पिलाना भी इन्हीं की परिचर्या के मुख्य आयाम हैं। सुरक्षित प्रसव कराना तथा प्रसव पूर्व एक प्रसवोत्तर परिचर्या करना जननी सुरक्षा कार्यक्रम के प्रमुख अंग हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों के सामाजिक सशक्तिकरण की ओर विशेष ध्यानाकर्षित कर पंचायत राज व्यवस्था के सहयोग से विभिन्न विकास योजनायें क्रियान्वित कर सामाजिक रूप से अनुसूचित जातियों को सशक्त बनाने के अनेक प्रयास किये हैं। जिसके सार्थक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। सुस्पष्ट है कि अनुसूचितजातियों के सामाजिक सशक्तिकरण में पंचायत राज व्यवस्था की भूमिका सकारात्मक है।

सन्दर्भ

1. जोशी, सन्दीप कुमार. (2010). पंचायत राज और दलित सशक्तिकरण. अनमोल प्रकाशनः इन्दौर (म0प्र0). पृष्ठ **103.**

2. सिरोही, रेखा रानी. (2010). अनुसूचित जाति सशक्तिकरण के विविध आयाम. सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक विकास पब्लिशिंग कम्पनी (लि0): गाजियाबाद (उ0प्र0). पृष्ठ **193–194.**
3. मौर्या, जगदीश सिंह. (2011). दलितोत्थान एवं सामाजिक परिवर्तन एक समाजशास्त्रीय अनुशीलन. देशबन्धु प्रकाशनः रायपुर (मध्य प्रदेश). पृष्ठ **211.**
4. सिंह, एस0डी0. (2006). पंचायत राज और सामाजिक विकास, (कार्यशाला) वि0वि0अनु0 आयोग मध्य क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल (म0प्र0). स्मारिका में प्रकाशित शोधपत्र 21, 22 एवं 23 दिसम्बर. पृष्ठ **31–32.**
5. वर्मा, के0बी0. (2006). पंचायत राज के प्रकाश में अनुसूचित जातियों की दशाओं में हुए परिवर्तन. प्रकाशित शोध पत्र (उपरोक्त). 21, 22 एवं 23 दिसम्बर. पृष्ठ **67–69.**
6. श्रीवास्तव, श्रीमती रश्मि. (2005). ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली का तथ्यात्मक अध्ययन. मैनपुरी (उ0प्र0) जिला की पांच ग्राम पंचायतों के अध्ययन के सन्दर्भ में प्रकाशित शोधपत्र 'सामाजिक सहयोग. राष्ट्रीय त्रैमासिक शोध पत्रिकाः उज्जैन (म0प्र0). पृष्ठ **31–36.**
7. शर्मा, मुकेश चन्द. (2002). पंचायत राज व्यवस्था तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति सशक्तिकरण एक अध्ययन. कर्णावती प्रकाशनः अहमदाबाद. पृष्ठ **87.**